

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

तारीख दायर 24.3.2022

प्रकरण संख्या :- 31/2022

रामलाल पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलिया  
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 24.3.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 530 पर अंकित आराजी संख्या 411/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 530 पर अंकित आराजी संख्या 411/1 रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ